



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक.....

सेक्टर..... 01.....

दिनांक.....

श्री/श्रीमती/महोदय..... श्री राजाराम प्रसाद शर्मा

ए/0- विधि विभाग, गोरखपुर

आपके पत्र दिनांक 12-12-2012... मानचित्र सं. 1851/2012... के संदर्भ में आपके प्रस्तावित भवन का अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सं. 1851/2012... पर निर्माणाधीन शर्तों के साथ

- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि भोके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
- आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसको पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 25% पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
- प्राधिकरण से अध्यासन (आकृषि) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकृषि) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
- दरवाजे या खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुलें तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
- किसी भी लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किन्ने जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- सुपरविजन एवं सेंसिबिलिशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 18-12-12... का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

सचिव

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर